## प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट परिशिচट ' छियासठ

प्रश्न सं. [ क. 2201 ]

वनमंडल कार्यालय के पत्र पृ. क्र./मा.चि./266 दि0 11.01.18

उनके स्तर से अप्राप्त

एवं 1040 तथा 1042 दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से मा० विधायक श्री कुंवर सौरभ सिंह जी विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद-94

को दी गई है।

परिशिष्ठ-ग्राक

चि./1041 दि. 16.02.18, पत्र क./मा.चि./265 दि. 11.01.18 में उल्लेखित प्रयोजनों हेतु वांछित ′11/06/10—3 दिनांक 29.05.2009 के दिशा—निर्देश के पैरा अभिलेखों सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में परिक्षेत्र अधिकारी रीठी एवं बहोरीबंद को प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, प्रस्ताव है। उपरोक्त कार्यवाही की सूचना सरपंच ग्राम पंचायत नैगवां को कार्यालयीन पत्र क्र./नि.स./मा शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र क्र/एफ.एस अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) (2) अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी एवं पत्र क./मा.चि./1039 दि. 16.02.18 के माध्यम से विभाग द्वारा की गई कार्यवाही अनुसार पत्र प्रावधान एवं पत्र क्र./मा.चि./1039 दिनांक पत्र क./मा.चि./265 दि. 11.01.18 वनमंडलाधिकारी कटनी का प्रेषित पत्र क. / नि.स. / मा.वि. / 1041 दि. 16.02.18 पत्र क./

16.02.18

(भू—प्रबंध) SIKIM अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल (सुनील अग्रवाल)



विधान समा अतारांकित प्रश्न क्रमॉक—2201 के प्रश्नांश (ग) से संबंधित जानकारी

प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र क.

1351 / 21.12.2017

0 02 03

1414 / 30.12.2017 1361 / 22.12.2017

## विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमॉक-2201 के प्रश्नांश (घ) से संबंधित जानकारी

विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	नमान मानामन नेगवां को गाम नेगवां से हाथीभार मार्ग, रमपुरा से निपनिया एवं रमपुरा से	सरपथ आने पंजाबर्स नियमिया मार्ग, सूखा से सिंहुडी मार्ग के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. कुम्हरवारा मार्ग, नैगवां से नियमिया मार्ग, सूखा से सिंहुडी मार्ग के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. 7 माचि 7 265 दि. 11.01.18 एवं 1039 एवं 1041 दि० 16.02.18 के माध्यम से म.प्र. शासन, वन	तिमाग, मंत्रालय बल्लम भोपाल के पत्र क्र/एफ.एस./11/06/10—3 दिनाक 29.05.2009 क विमाग, मंत्रालय बल्लम भोपाल के पत्र क्र/एफ.एस./11/06/10—3 दिनाक 29.05.2009 क तिमाग, मंत्रालय बल्लम भोपाल के पत्र प्रमुचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों	की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के प्रावधान अनुसार पत्र में उल्लीखित प्रयाजना हेतु वांछित अभिलेखों सिहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपंत्र में परिक्षेत्र अधिकारी रीठी एवं बहोरीबंद को प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, प्रस्ताव उनके स्तर से अप्राप्त है। उपरोक्त कार्यवाही की सूचना वनमंडल कार्यालय के पत्र पृ. क्र./मा.वि./266 दिनांक 11.01.18 एवं 1040 तथा 1042 दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से मा0 विधायक श्री कुंवर सौरम सिंह जी विधानसमा क्षेत्र बहोरीबंद—94 को दी गई है।	सन्प्रम गाम पंद्यायत पोडी जनपद पंचायत बहोरीबंद को वनमंडल कार्यालय कटनी के पत्र क्र.	्राराच्या पहुंच माग ७न्यन हो अनुमित जारी की गई। को अनुमित जारी को गई।	ग्राम खराना पहुच नाग (जान रार्सा) में संबंध में कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर को निर्माणधीन पुल तक पहुंच मार्ग बनवाने के संबंध में कुण्डम परियोजना मण्डल जहार्ग मा.चि. हस्तांतरित क्षेत्र के अंतर्गत होने के फलस्वरूप वनमंडल कार्यालय कटनी के पत्र क्र./ मा.चि. / 4169 दि० 13.06.16 के माध्यम से मण्डल प्रबंधक, कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया था। अग्रिम कार्यवाही का संबंध कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर से है।
वनमंडलाधिकारी कटनी का प्रेषित पत्र क्र./दि.		पत्र क. / नि.स. / मी. चि. / 265 दि.11.01.18 महं महं के / 10/1	द्भ ५४ ४%./ १०२। दि.16.02.18		母	५२ <i>१</i> २.४ मातप. / 6217 दि. 12.09.16	पत्र क्र./ मा.चि. / 4169 दि० 13.06. 16
प्रश्नकर्ता सदस्य एवं अन्य क्षेत्रीय	आम नागरिक का पत्र क./दि.	पत्र क. / 1351 दि.21.12.2017	पत्र क. / 1361 / दि.22.12.2017	ਧੜ क. / 1414 / ਵਿ.30.12.2017		पत्र क्र. / 60 / दि.11.04.16	पत्र क. / 1399 / दि.01.06.2016
प्रश्नकर्ता सदस्य एवं अन्य क्षेत्रीय	अन्त्रातानाथ तथा आम नागरिक का नाम एवं पता	मा० विधायक श्री कुंवर सौरम सिंह,	विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद–94				मा० विधायक श्री मोती कश्यप, पूर्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ९१—बड्वारा
18:		01	05	03	- 0	40	02

2	
1	
1	
-Z	
. 2	
7	
1	
1	
1	
j.	

वनमंडल कार्यालय कट्भी के पत्रक्रमंक / माचि / 4814, दि० 12.07.16, 5459 दि० 05.08.16 एवं कट्टि 12.09.16 के मेह्यम से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कट्नी जिला कट्टि 12.09.16 के मेह्यम से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कट्नी जिला कट्टिन को मार्ग, खामरवानी से वाद्रस्तिंहुडी मार्ग, वाद्रस्तिंहुडी मार्ग, वाद्रस्तिंहुडी मार्ग, वाद्रस्तिंहुडी मार्ग, कोडो से अतिरया बस्ती ग्र.म.ग्रा.स.यो. मार्ग, मझगवां, छीतापाल से दादरसिंहुडी सार्ग, मझगवां से देगवां (महगवां) मार्ग, तिलमन से करोंदी व्हाया करोंदा मार्ग, छीतापाल से सगौना पुराना प्रचलित मार्ग निर्माण के संबंध में वन विभाग द्वारा मार्ग के प्रकश्णों में दी जाने वाली अनुमतियों की जानकारी उन्हें प्रेषित कर वस्तुरिथित स्पष्ट करते हुए कि मार्गो का उन्नयन किया जाना है या निर्माण से संबंधित प्रस्ताव चाहे गये हैं, जो कि आज दिनांक तक उनसे अपेक्षित है।	सरपंच ग्राम पंचायत पढरा को भूमि उपलब्ध करान एवं डम (बाब) बनवान प्राप्त कार्यांच्य में कार्यांचा के वार्वाचात, वन विभाग, कार्यांच्यम से म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालयीन पत्र क्र/मा.वि./1371 दि. 04.03.17 के माध्यम से म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय बल्लम भोपाल के पत्र क्र/एफ.एस./11/06/10—3 दिनांक 29.05.2009 के दिशा—निर्देश के पैरा (2) अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के प्रावधान अनुसार पत्र में उल्लेखित प्रयोजनों हेतु वांछित अभिलेखों सिहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में परिक्षेत्र अधिकारी बड़वारा को प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, प्रस्ताव उनके स्तर से अप्राप्त है।	इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में माननीय विधायक महादय श्रा कुवर सारम पर्फ विधान रहा प्रवास कहा विधान है। बहोरीबंद—94 को इस मार्ग की अनुमति के लिये लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अथवा म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को विधिवत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये लेख किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियानुसार कार्यवाही की जावेगी।
पत्रक्र/मा.चि. / 6228	पत्रक्त/मा.चि. / 1371	पत्रक्त/मा.चि./9002
दि० 12.09.16	दि० 04.03.17	दि० 21.10.16
पत्रक्त / 1502	पत्रक्त/114, 115	पत्रक्त / 1468
दि.03.07.2016	दि.27.02.2017	दि० 18.10.2016
मा० विधायक श्री	सरपंच ग्राम पंचायत	मा० विधायक श्री
मोती कश्यप, पूर्व	पठरा, जनपद	कुंवर सौरम सिंह,
राज्य मंत्री (स्वतंत्र	पंचायत कटनी	विधान समा क्षेत्र
प्रमार) ९१—बड़वारा	जिला कटनी	बहोरीबंद–94
90	0	80



